न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 65/2018

1. धोकलराम पुत्र मंगलाराम राईका
2. भोपालराम पुत्र मंगलाराम राईका
3. नगाराम पुत्र मंगलाराम राईका
   निवासीगण पाबूनगर, इन्दों का बास
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. भंवरी पत्नी अशोक विश्नोई
2. बेबी देवी पत्नी रामजस विश्नोई
   निवासीगण बरजासर, तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
3. राणाराम पुत्र केवलराम विश्नोई
   निवासी मानेवडा, तहसील बाप
   जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
4. लाछी देवी पत्नी बलवन्ताराम विश्नोई
   निवासी ग्राम नौसर, तहसील ओसियां
   जिला जोधपुर
5. राजस्थान राज्य
   जरिये तहसीलदार लोहावट
   जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 12 मार्च 2016 राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 243/2015 अनवान भंवरी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता–रेस्पो.
रेस्पो. संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 12 अगस्त 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा प्रकरण संख्या 243/2015 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 मार्च 2016 के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष पेश की है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया। साथ ही एक अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश करने अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण–रेस्पो. संख्या 1 से 5 ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के तहत आराजी खसरा संख्या 2036 रकबा 45 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 2033 रकबा 16 बिस्वा व खसरा संख्या 2078 रकबा 48 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम पाबूनगर पटवार हळका इन्दों का बास की सीमाओं की पैमाईश व पत्थरगढी कराये जाने हेतु पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद आवश्यक कार्यवाही उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 मार्च 2016 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2079 व 2084 वाके मौजा पाबूनगर रेस्पो. संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि के पडौस में ही स्थित है, अपीलाधीन आदेश की आड में प्रार्थीगण–रेस्पो. संख्या 1 से 4 अपीलाण्ट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि में जबरन प्रवेश करने एवं पुराणी माठ व कणे को खुर्द–बुर्द कर मौके से अपीलाण्ट्स को बेदखल करने पर आमदा है। इस प्रकार अपीलाण्ट्स अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार है, अतः अपीलाण्ट्स को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में अपीलाण्ट्स को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया और न ही अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व अपीलाण्ट्स को सूचित कर सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया, इस कारण विचारण न्यायालय में प्रकरण की कार्यवाही एवं पारित अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी। जानकारी होने पर अपीलाण्ट्स द्वारा 03जुलाई 2018 को नकल हेतु आवेदन किया और नकल प्राप्त होने पर जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा में आलौच्य अपील प्रस्तुत कर दी गयी। अतः अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जावे।

गुणावगुण पर अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण–रेस्पो. संख्या 1 से 4 ने आराजी खसरा संख्या आराजी खसरा संख्या 2036, खसरा संख्या 2033 व खसरा संख्या 2078 वाके ग्राम पाबूनगर के पडौस में स्थित आराजी 2079 व 2084 वाके मौजा पाबूनगर के रिकार्डेड खातेदारान अर्थात अपीलाण्ट्स को मामले में पक्षकार संयोजित किये बिना ही प्रार्थनापत्र पेश किया, जो चलने योग्य ही नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश मात्र एक प्रशासनिक आदेश है, जो किसी न्यायिक आदेश की श्रेणी में नहीं आता है और बिना तरमीम के ही पारित किया गया आदेश होने के कारण उसके आधार पर पत्थरगढी व नेखमबन्दी नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश प्रार्थीगण–रेस्पो. संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या आराजी खसरा संख्या 2036, खसरा संख्या 2033 व खसरा संख्या 2078 वाके ग्राम पाबूनगर बाबत पारित किया गया है, जिससे खसरा संख्या 2079 व 2084 वाके मौजा पाबूनगर बाबत अपीलाण्ट्स के हित एवं खातेदारी अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है। अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्पष्ट एवं अपूर्ण तथ्यों पर आधारित है जिसमें अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट्स को सर्वप्रथम जानकारी कब, किसके द्वारा और किस प्रकार हुई आदि बिन्दुओं का कोई विवरण ही अंकित नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश प्रार्थीगण–रेस्पो. संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या आराजी खसरा संख्या 2036, खसरा संख्या 2033 व खसरा संख्या 2078 वाके ग्राम पाबूनगर बाबत पारित किया गया है, जिससे खसरा संख्या 2079 व 2084 वाके मौजा पाबूनगर बाबत अपीलाण्ट्स के हित एवं खातेदारी अधिकार प्रतिकूलरूपेण प्रभावित होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा दिनांक 12 मार्च 2016 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील दिनांक 04 जुलाई 2018 को पेश की गयी जो निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने का कोई समय बिन्दु अंकित नहीं किया गया है और सर्वप्रथम जानकारी किसके माध्यम से किस प्रकार हुई, इसका भी कोई विवरण नहीं दर्शाया गया है। इन परिस्थितियों में प्रस्तुत मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

इन परिस्थितियों में अपील अपीलाण्ट्स आधारहीन, मियादबाधित एवं सारहीन पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 मार्च 2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12 अगस्त 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर